कार्यालय,

[illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद,

[illegible] प्रदेश लखनऊ।

[illegible] 2022/2018/785 [illegible]

[illegible] लाभ,

[illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद [illegible] में सम्बद्धता समिति की [illegible] के सम्बन्ध में [illegible] हेतु सम्बद्धता सम्बन्धित [illegible] सकते।

[illegible] निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा [illegible] के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की [illegible] है।

[illegible] RATH INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL [illegible]

[illegible]	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। परीक्षा के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की अधिकतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं

[illegible]

Director
Rath Yadnyadhar Nath Institute
of Pharmaceutical Sciences

[illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

(एफ०आर० खान)

सचिव

दिनांक: 20/09/2022

पृ०सं०- प्रतिष्ठानपरिषद सम्बद्ध/2022/0786-8924

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक,SETH VISHAMBHAR NATH INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

(एफ०आर० खान)

सचिव

Director
Seth Vishambhar Nath Institute
of Pharmaceutical Sciences

[illegible]

[illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद्

उत्तर प्रदेश लखनऊ

[illegible] 20/0537 [illegible] दि0 [illegible]/08/2021

[illegible] प्राप्त

[illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्गत [illegible] सत्र 2021-22 हेतु [illegible] किये जाने का निर्णय लिया गया।

[illegible] के द्वारा दी गयी निर्देश के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ [illegible] 2021-22 हेतु [illegible] शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता निर्गत प्रदान की [illegible]-

[illegible] SHRI VISHWANATH INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL [illegible], DEVA BARABANKI.

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	[illegible] द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1.	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1962, सेमेस्टर विनियमावली 2016 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय डी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को 2000 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनापत्ति पत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों,

The Principal
Shri Vishwanath Institute of Pharmaceutical Sciences

[illegible] करने के लिये शर्तें :

[illegible] फार्मेसी पाठ्यक्रम की संबद्धता यदि [illegible] संबद्धता उपरांत संस्था का [illegible] प्रवेश परीक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, [illegible] प्रवेश शासन को कोई बाद शासन किया जाता है तथा उस [illegible] प्रवेश परीक्षा संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संबद्ध [illegible] संबंधित संस्था का करना होगा।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु [illegible] प्राप्त [illegible] कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना (किस [illegible] प्रवेश की [illegible] के माध्यम से [illegible] सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नीतिगत आरक्षण नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, कार्य, [illegible] उपकरण, प्रदान किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षक प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त छात्रावास उपलब्ध कराने के साथ शैक्षिक सत्र के माध्यम से समस्त आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि, भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वतंत्र निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एआईसीटीईपीसीआईपरिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

पृ०सं०- प्रविशपरिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक,SETH VISHAMBHAR NATH INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, KHAJUR GAON, DEVA BARABANKI.

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

Director
Seth Vishambhar Nath Institute
of Pharmaceutical Sciences